



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102025-267293
CG-DL-E-31102025-267293

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4790]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 2025/ कार्तिक 9, 1947

No. 4790]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2025/ KARTIKA 9, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4945(अ).— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की 5 अप्रैल, 2025 की संख्या का.आ.1628(अ) के तहत प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 9 में “जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र” शब्दों के स्थान पर “जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 07/06/2024 (4)-आरआरबी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना 5 अप्रैल, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ.1628(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2025

S.O. 4945(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A read with sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services *vide* number S.O. 1628(E), dated the 5th April, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely: -

In the said notification, in paragraph 9, for the words, “*Union Territory of Jammu and Kashmir.*”, the words, “*the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh,*” shall be substituted.

[F.No. 07/06/2024/(4)-RRB]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(ii) *vide* number S.O. 1628(E), dated the 5th April, 2025.